

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 70(0)ग्रावि/नरेगा/प्रशिक्षण/बेयर फुट/टैक्नी./2015-16

जयपुर, दिनांक

22 AUG 2016

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस  
(जिला अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर,)

विषय:- बेयर फुट टैक्नीशयन के स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु निर्देश।

प्रसंग- विभाग का पत्रांक एफ 12 (1 ) ग्रावि / नरेगा/बेयर फुट/2015 जयपुर, दिनांक

13.06.2016

विषयान्तर्गत बेयर फुट टैक्नीशयन के प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उक्त निर्देशों के क्रम में आपके जिले में स्थित पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जावेगा, कृपया आपके पर्यवेक्षण में निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

1. स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु मुख्य कार्काारी अधिकारी जिला परिषद कोर्डिनेटर एवं आचार्य पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र सह कोर्डिनेटर होंगें। जिनके द्वारा टेस्ट आयोजन की समस्त तैयारिया, पर्यवेक्षक की नियुक्ति, व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित की जावेगी।
2. टेस्ट का आयोजन दोपहर 12.00 बजे से 1:00 बजे (1.00 घण्टे) तक होगा।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया जावेगा उनकी सूची, जिला परिषद के मुख्य कार्काारी अधिकारियों द्वारा आपके जिले में स्थित पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र को प्रेषित की जावेगी। जिसके आधार पर भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर, नोटिस बोर्ड एवं परीक्षा स्थल पर चस्पा की जावेगी। उक्त सूची अनुसार परीक्षार्थियों की परीक्षा हेतु बैठक व्यवस्था की जावे।
4. उक्त सूची अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति, उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोयुक्त परिचय पत्र एवं जॉब कार्ड की फोटो प्रति के आधार पर दी जावे।
5. परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जावे ताकि गोपनीयता भंग न हो।
6. प्रश्न पत्र विभाग द्वारा आपको भेजा जावेगा, जिसकी आवश्यकतानुसार प्रतियां परीक्षा तिथि से पूर्व आपकी देखरेख में कराई जाकर, सीलड लिफाफों में रख ली जावे तथा परीक्षा केन्द्र प्रभारी के समक्ष परीक्षा समय से 1/2 घण्टे पूर्व खोली जावे। मोबाईल, केलकुलेटर, एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षा हॉल में ले जाना निषेध होगा।
7. प्रश्न पत्रों पर जिले एवं परीक्षा केन्द्र की मुहर एवं पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर कराए जावे।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रश्न पत्रों की जांच आपके स्तर पर ही, दोपहर 2:00 बजे के पश्चात् की जावे। उत्तर कुंजी समय से पूर्व आपको ई-मेल से भेज दी जावेगी। प्रश्न पत्रों की जांच हेतु आपके स्तर से अधिकारियों की नियुक्ति की जावे। तथा आंसरशीट सीलड, लिफाफो में परीक्षा परिणाम के बाद रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जावे।
9. परीक्षा केन्द्र पर कानून व्यवस्था, गोपनीयता इत्यादि हेतु समुचित व्यवस्था की जावे।
10. परीक्षा परिणाम राज्य स्तर से जारी किया जाना है। अतः परीक्षा परिणाम तैयार करने के उपरांत परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का विवरण, निम्न प्रारूप में Excel Sheet में तैयार कर विभाग को 30.08.2016 को सांय 5 बजे तक भिजवाया जावे।

क्र.स	परीक्षार्थी का क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम	जाति	लिंग	ब्लॉक का नाम	जिला	प्राप्तांक	एम.आई.एस में अंकित जॉब कार्ड नं०	मो० नं०

11. अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग टेस्ट में, उपस्थिति का विवरण रिकॉर्ड में संधारित किया जावे।
- 12 परीक्षा के दौरान पारदर्शिता हेतु प्रत्येक परीक्षा हॉल की विडियोग्राफी कराए जाने की व्यवस्था की जावे।
- 13 पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के ई-मेल address, दूरभाष नं. निम्नानुसार हैं

क्र.स	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	आचार्य का नाम	मोबाईल नं.	ई-मेल
1	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर।	श्री राजेश जैन	9413976639	principalptcajmer@gmail.com
2	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर, जोधपुर	श्री राजेन्द्र सिंह	9414813644	rajendra_siyag@yahoo.co.in
3	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर।	श्री योगेश चन्द्र गौड	9413271645	ptcdungarpur@gmail.com
4	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा।	श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल	9414317291	ptckota@gmail.com
5	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर।	श्री महेश चन्द गोयल	9413309870	ptcbharatpur@gmail.com

  
(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रा०वि०विभाग

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रतिलिपी भेजकर निवेदन है कि वह अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करावे।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, भरतपुर, को छोड़कर) भेजकर लेख है कि उक्तानुसार अभ्यर्थियों को सूचित करें कि वे फोटोयुक्त परिचय पत्र एवं जॉब कार्ड की प्रति जिसमें एम.आई.एस से जनरेटेड जॉब कार्ड नं.

